संख्या- 159 /2024/1038 /चार-2024-1789431

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2024

विषय- रामोत्सव-2024 के अन्तर्गत संत कबीर अकादमी द्वारा दिनांक 14 जनवरी से 24 मार्च, 2024 तक आयोजित कहानी पाठ, कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम सांस्कृतिक संकुल मंच/ श्री गुरूकुल महाविद्यालय साहित्य संस्कृति मंच पर अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-5100/सं0नि0-15(लो0 एवं ज0जा0सं0सं0)/2023-24, दिनांक 15 मार्च, 2024 एवं निदेशक, उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या- 575(13) /उ0प्र0 लो0 ज0जा0सं0सं0)/2023-24, दिनांक 14 मार्च, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रामोत्सव-2024 के अन्तर्गत संत कबीर अकादमी द्वारा दिनांक 14 जनवरी से 24 मार्च, 2024 तक आयोजित कहानी पाठ, कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम सांस्कृतिक संकुल मंच/ श्री गुरूकुल महाविद्यालय साहित्य संस्कृति मंच पर अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम हेतु धनराशि रू0 98,40,500.00 लाख (रूपये अट्ठानवे लाख चालीस हजार पांच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित कर संत कबीर अकादमी को उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ/ संत कबीर अकादमी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(4) कलाकारों के मानदेय का भुगतान संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या- 2769/चार-2022 दिनांक 27.12.2022 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-21- रामोत्सव अयोध्या 2023-24, 42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 159 /2024/1038 (I) /चार-2024-1789431, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
5- निदेशक, संत कबीर अकादमी, मगहर, संत कबीर नगर।
6- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।